संख्याः 308 /X-4-16-1(286) /2016

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर,
फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 **देहरादूनः दिनांकः 07 सितम्बर, 2016**

विषयः– जनपद देहरादून मे ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के कि0मी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.889 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–403/एफ.पी./यू.के./रोड/19607/2016 दिनांक 30.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद **देहरादून मे ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के कि0मी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.889 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण** विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।
2. उक्त मामले से कितने गॉव एवं कितनी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।
3. मामले के संबंध में जिलाधिकारी की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्याः 308 (1)/ X-4–16/1(286)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।